संलग्नक- 2

संख्या 3182/38-3-99-500वि0नि0/98टी0सी-1

प्रेषक,

अनिल संत,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 26 जुलाई, 1999

विषय :- विधायक निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्त में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 4560वि0नि0/38-3-99-300वि0नि0/98 दिनांक 22-12-98 द्वारा "विधायक निधि" योजना की अवधारणा, कार्यान्वयन और अनुश्रवण व्यवस्था के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किया गया था और इस निमित्त वित्तीय वर्ष 1998-99 में शासनादेश दिनांक 30-01-99, 08-02-99 तथा वित्तीय वर्ष 1999-2000 में शासनादेश दिनांक 3-4-99 द्वारा धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

2- वर्तमान में शासन द्वारा विकेन्द्रीकृत प्रणाली को जनपद स्तर पर लागू करने का निर्णय लिये जाने के फलस्वरूप जनपद के समस्त विकास कार्यों का दायित्व जिलाधिकारी से हटाकर मुख्य विकास अधिकारी/अधिशासी निदेशक को दिया गया है।

3- उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में शासन ने सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि विधायक निधि के संचालन का दायित्व जिलाधिकारी से हटाकर मुख्य विकास अधिकारी को सौंपा जाय।

4- अतः मार्गदर्शी सिद्धान्त के सभीप्रस्तरों में अंकित जिलाधिकारी के स्थान पर मुख्य विकास अधिकारी पढ़ा जाय।

तदनुसार मार्गदर्शी सिद्धान्त तथा समय-समय पर जारी इस निमित्त शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाय।

भवदीय,

(अनिल संत) 26/7/99

विशेष सचिव।

संख्या 3182 वि0नि0/38-3-99 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
3- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
4- प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन।
5- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6- मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी/मा0 राज्य मंत्री जी के सूचनार्थ उनके निजी सचिव को

.....2/..

17

7- समस्त मुख्य विकास अधिकारी/ जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9- उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

24/7/99

(अनिल सेठ)
विशेष सचिव।